मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
11/07/17	07/05/21	3 वर्ष, 7 माह, 28 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या 457/2017

1. श्रीमती उर्मिला देवी अहिरवार उम्र 50 साल पत्नी स्व. अशोक कुमार
2. अतुल कुमार उम्र 23 साल पुत्र स्व. अशोक कुमार
3. अमित कुमार उम्र 24 साल पुत्र स्व. अशोक कुमार
4. श्रीमती शांति देवी अहिरवार उम्र 76 साल पत्नी स्व. हरदास

निवासीगण आजाद नगर भटटागांव तहसील व जिला झाँसी

----याचीगण

प्रति

1. विंद्रा ट्रेवेल्स लाइन प्राइवेट लि. अमनदीप सिंह विंद्रा स्थयी पता 6/45 ए. रोड़ नं. 45 पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली वर्तमान पता पटटी औरंगाबाद खेरा बागपत

.....वाहन स्वामी बस नं. यूपी17 एटी3133

2. दी ~~यूनाइटेड~~ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कार्यालय न्यू इंडिया सेंटर 113400 डी.ओ. नाइंथ फ्लोर न्यू इंडिया सेंटर 17/ए कोपरेज रोड मुंबई महाराष्ट्र 400039 जरिये मंडल प्रबंधक कार्यालय कचहरी चौराहा झांसी

.....बीमा कंपनी बस नं. यूपी17 एटी3133
दिनांक 01/06/2017 से 31/05/2018 तक पॉलिसी नंबर 113400311700100003876

3. सतीश कुमार पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी ग्राम सुजान पुर खैर अलीगढ़ जिला अलीगढ़ उ.प्र.

.....चालक बस नं. यूपी17 एटी3133

----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री एन. के. गुप्ता
विपक्षीगण सं.2 के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला
विपक्षी सं.3 के अधिवक्ता- श्री

अधिनिर्णय

1. प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत याचीगण के पिता, पुत्र व पति अशोक कुमार की मृत्यु के कारण ₹40,20,000 क्षतिपूर्ति मय 10% वार्षिक ब्याज हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि मृतक अशोक कुमार दिनाँक 12.10.2017 को समय करीब 5:15 बजे शाम के मेडीलाइफ के मेन गेट पर साइकिल चलाते हुए ड्यूटी जा रहे थे कि उसी समय मिनी बस नंबर यूपी17 एटी3133 के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर याची गण के पति व पिता की साइकिल में टक्कर मार दी जिससे अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हुए साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई तथा गंभीर हालत में अशोक कुमार को जे.एस. हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। जब याची गण के घर पर दुर्घटना की सूचना आई तो दूसरे दिन मृतक के पुत्र अतुल कुमार द्वारा झांसी से जाकर थाना एक्सप्रेसवे में दुर्घटना की रिपोर्ट लिखाई गई तथा अपराध संख्या 0281/17 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। याचिका के पति पिता व पुत्र अशोक कुमार टाप सिक्योरिटी लिमिटेड नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर काम करते थे तथा उन्हें 13000 रुपया लगभग माहवार वेतन था। अशोक कुमार को ₹10000 वेतन मिलता था तथा माह में ओवर टाइम भी काम करते थे इस प्रकार माह भर में लगभग ₹3000 की उनकी वेतन बन जाती थी तथा मृतक भविष्य में सुपरवाइजर के पद पर भी उन्नति होती जिससे उसकी आय लगभग ₹3000 माहवार और बढ़ती इस प्रकार मृतक के वेतन लगभग ₹16000 होती जिससे याची गण की घर गृहस्ती का खर्च व बच्चों के पढ़ाई का खर्च उठाता। वर्तमान में मृतक के दोनों लड़के पढ़ाई कर रहे हैं याची अमित कुमार आईटीआई के परीक्षा दी है वह अतुल कुमार B.Ed कर रहा है इन सभी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मृतक ही उठाता था। तथा याची गण पूर्णतः भी मृतक पर ही आश्रित थे ।

3. विपक्षी सं.2 ~~यूनाईटेड~~ न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. की ओर से 14 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह अभिकथन किये हैं कि कथित दुघर्टना के समय पर प्रश्नगत बस नं. यूपी17 एटी3133 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह बिना वैध व प्रभावी परमिट व फिटनेस के बीमा पॉलिसी की

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.05 10:38:19 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal, Jhansi

शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था तो ऐसी स्थिति में विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है।

4. विपक्षी सं.1 व 3 उपस्थित नहीं आए अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई प्रारंभ की गई।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 12.11.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

(1) क्या आपने दिनांक 12-10-2017 को समय करीब 5:15 बजे शाम वस्थान मेडीलाइफ मेन गेट के सामने वहद थाना एक्सप्रेसवे जनपद गौतम बुद्ध नगर में मिनी बस नंबर यूपी17एटी3133 को तेजी व लापरवाही से चलाकर याचिनी संख्या-1 के पति तथा याची संख्या-2 व 3 के पिता एवं याचिनी संख्या-4 के पुत्र श्री अशोक कुमार की साइकिल में टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई ?

(2) क्या तथा कथित दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन मिनी बस नंबर यूपी17एटी3133 के चालक के पास स्थाई, वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञापत्र था ?

(3) क्या तथा कथित दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन मिनी बस नंबर यूपी17एटी3133 विपक्षी संख्या 2 दि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित था और बीमा शर्तों के अधीन संचालित था ? न्यू

(4) क्या याचीगण किसी क्षतिपूर्ति को पाने के अधिकारी हैं यदि हां तो कितना और किस विपक्षी से ?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से -

अभिलेखीय साक्ष्य

1. फेहरिस्त 7 सी1 से प्रपत्र 8 सी1/1 लगायत 8 सी1/2 प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति, 9 सी1/1 पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की छाया प्रति, 10 सी1/1 वाहन यूपी17 एटी3133 के रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति, 10 सी1/2 वाहन यूपी17 एटी3133 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति, 11 सी1 आधार कार्ड अशोक कुमार की छाया प्रति, 11 सी1/2 टाप्स सेक्योरिटी पहचान पत्र की छाया प्रति, 11 सी1/3 आधार कार्ड उर्मिला देवी अहिरवार की छाया प्रति, 11 सी1/4 आधार कार्ड अमित कुमार की छाया प्रति, 11 सी1/5 आधार कार्ड अतुल कुमार व 11 सी1/6 आधार कार्ड शांति देवी अहिरवार की छाया प्रति ।

2. फेहरिस्त 16 सी1 से प्रपत्र 17 सी2 वाहन चालक सतीश कुमार के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रति।

3. फेहरिस्त 20 सी2 से प्रपत्र 20 सी2/2 लगायत 20 सी2/2 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, 21 सी2/2 लगायत 21 सी2/3 आरोपपत्र की प्रमाणित प्रति, 22 सी2/2 नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रति, 23 सी2/2 न्यायालय के वाहन सुपुर्दगी आदेश की प्रमाणित प्रति, 24 सी2/2 वाहन यूपी17 एटी3133 की तकनीकी आख्या की प्रमाणित प्रति व 25 सी2/2 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

मौखिक साक्ष्य-

पी.डब्लू.1 उर्मिला देवी मृतक की पत्नी व याची सं.1 एवं पी.डब्लू.2 जितेंद्र प्रताप सिंह चक्षुदर्शी

विपक्षीगण की ओर से -

अभिलेखीय साक्ष्य

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

मौखिक साक्ष्य-

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7. मैंने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की आभासी न्यायालय मे बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1

पी.डब्लू.1 यद्यपि दुर्घटना की चक्षुदर्शिनी नहीं है किन्तु इसने अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका के कथनों के समर्थन मे बयान दिया है। प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी है। इस साक्षी की प्रति परीक्षा में ऐसी कोई तात्विक विसंगति नहीं है जिससे कारण इस साक्षी की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। **पी.डब्लू.2** जितेंद्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह अशोक कुमार मृतक को जानता था इनकी दुर्घटना दिनांक 12.10.17 को समय

5:15 शाम के, मेडीलाइफ के गेट के सामने हुआ था। वह मृतक को झांसी से ही जानता था। वह दिल्ली जा के लिए गया था। झांसी में भी इन्हें जानता था। जिस दिन घटना हुई वह दिल्ली में उनके घर जॉब की बात करने गया था, क्योंकि उन्होंने उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया था जिसने अशोक कुमार को टक्कर मारी थी उसका नंबर यूपी17 एटी3133 है। इस बस के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर, मृतक अशोक कुमार को टक्कर मारी थी। घायल होने पर, घायल अवस्था में अशोक कुमार को जेएस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में ले गए थे। वही भर्ती करवाया था लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी दुर्घटना की एफ आई आर दूसरे दिन मृतक के पुत्र अतुल कुमार द्वारा लिखावाई गई थी, पुलिस ने उसके बयान लिए थे, पंचनामा में उसके दस्तखत हुए थे। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी पुलिस की कार्रवाई में उसका नाम है। चँकि उसने घटना देखी इसलिए वह बयान देने आया है। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा हुई है, साक्षी की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैंने घटना की एफ आई आर नहीं लिखवाई थी मृतक के लड़के ने लिखवाई थी। उसने अपना पहचान पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। वह ग्रेजुएट है। न्यायालय में झूठा बयान देने का परिणाम उसे मालूम है सजा हो सकती है। वह दिल्ली में रहता नहीं है। वह दुर्घटना वाले दिन 1 दिन पहले गया था। उसने दिल्ली जाने का एवं दिल्ली रहने का प्रमाण पेश नहीं किया खुद कहा कि वह मृतक के कमरे में रुका था। वह मृतक के कमरे से मृतक के पहले टेंपो से घटनास्थल पर पहुंच गया था। उसके बाद उसने मृतक को आते हुए देखा। वह मौके पर पहले से ही खड़ा था और उसके सामने दुर्घटना हो गई। वह मृतक को अस्पताल लेकर नहीं गया था। वह बाद में अस्पताल गया था। वह जेएस हॉस्पिटल में पहुंच गया था। जेएस हॉस्पिटल सरकारी है या प्राइवेट उसे नहीं मालूम। उसने अस्पताल में मृतक की शिनाख्त के संबंध में कोई हस्ताक्षर नहीं किए। पंचायत नामा क्या होता है उसे नहीं मालूम। अस्पताल के बाद वह लौटकर टॉप सिक्योरिटी कंपनी में आ गया था। उसे पता है कि दिशाएं क्या होती हैं। दुर्घटना स्थल के पूर्व में कंपनी मेडीलाइफ है और दक्षिण में क्या है उसे नहीं मालूम उत्तर पश्चिम में क्या है उसे यह भी नहीं मालूम। वह जहां से खड़ा था वहां से दुर्घटना स्थल 25-30 कदम पर था। उसने दुर्घटना की f.i.r. भी नहीं लिखवाई है। वह मृतक के बच्चों के नाम जानता है। बच्चों के नाम अतुल कुमार, अमित कुमार है। यह सही है कि दुर्घटना स्थल पर अतुल कुमार नहीं थे। अतुल कुमार से मुलाकात थाने पर हुई थी। थाने का नाम नहीं मालूम, अतुल कुमार को दुर्घटना के बारे में उसने नहीं बताया था। उसके बाद से वह दिल्ली से चला आया इस समय झांसी में रहता है। दुर्घटना के बाद वह काम की तलाश में दिल्ली नहीं गया। दुर्घटना के बाबत रिपोर्ट होने के बाद उसने एक जगह पुलिस थाने में हस्ताक्षर किए थे वह पेपर क्या था उसे नहीं मालूम, पेपर पर लिखा था पर क्या लिखा था यह नहीं मालूम ।यह कहना गलत है कि दिनांक 12.10.17 को कोई दुर्घटना उसने ना देखी हो। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वह मौके पर थी भागी नहीं थी। गाड़ी स्कूल मिनी बस थी, उसका रंग पीला था। उस गाड़ी पर नंबर लिखा था नंबर हिंदी में था या अंग्रेजी में नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि वह याचिया का मेली होने के कारण उसे लाभ पहुंचाने के लिए झूठा बयान दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि वह बरवक्त दुर्घटना मौके पर मौजूद न हो। यह कहना सही है कि वह आज बिना समन गवाही देने आया है। आज की गवाही की सूचना उसे मृतक के पुत्र अतुल के द्वारा दी गई थी।

9. इस साक्षी के संबंध में बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यह साक्षी मौके पर मौजूद नहीं था बल्कि यह रोपित साक्षी है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में पंचायत नामापत्रावली पर उपलब्ध नहीं है इसलिए या नहीं माना जा सकता वह दिल्ली में नहीं था और उसने पंचायत नामा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। साक्षी द्वारा दिल्ली यात्रा के टिकट प्रस्तुत न कर पाने से भी यह नहीं माना जा सकता कि वह दिल्ली नहीं गया था क्योंकि सामान्यता लोग अपने टिकट संभाल कर नहीं रखते। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि वह मृतक को अस्पताल लेकर नहीं गया था बाद में गया था तो संभव है कि मृतक को अस्पताल ले जाने वाले लोग अन्य लोग हो या कोई सरकारी एंबुलेंस हो। दुर्घटना के 2 वर्ष पश्चात इस साक्षी की परीक्षा हुई है तो ऐसे में अपरिचित शहर में दुर्घटना स्थल की चौहद्दी को याद रख पाना संभव नहीं है अतः यदि वह दक्षिण उत्तर पश्चिम में क्या है नहीं बता पाया तो इससे यह नहीं माना जा सकता कि उसने दुर्घटना नहीं देखी।अजनबी शहर में कोई अस्पताल जहां कोई व्यक्ति एक दो बार ही गया हो उससे यह बताए जाने की अपेक्षा किया जाना कि वह अस्पताल सरकारी है या गैर सरकारी तर्कसंगत नहीं है। 2 साल बाद थाने का नाम भी याद रख पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। पुलिस कार्रवाई में सामान्यतः लोग बगैर कागज पढ़ें हस्ताक्षर कर देते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। 2 साल बाद यह भी याद रखना संभव नहीं कि वाहन पर नंबर अंग्रेजी में था या हिंदी में। इस साक्षी की प्रति परीक्षा में अन्य ऐसी कोई तात्विक विसंगति नहीं है जिससे कारण इस साक्षी की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके।

11. प्रपत्र 20 सी2/2 लगायत 20 सी2/2 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि दुघर्टना के प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के पुत्र अतुल कुमार द्वारा दिनाँक 12.10.2017 को समय 17.15 बजे की दुर्घटना की रिपोर्ट दिनाँक 13.10.2017 को 07.45 बजे मिनी बस सं. यूपी17 एटी3133 के चालक अज्ञात के विरूद्ध अंकित कराई गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उसके पिता जी श्री अशोक कुमार सन ऑफ श्री हरिदास ग्राम भट्टा गांव पोस्ट भट्टा गांव जिला झांसी थाना सदर बाजार झांसी के मूल निवासी हैं। जो कि सेक्टर 126 रायपुर में रहते थे। रायपुर से साइकिल द्वारा ड्यूटी जा रहे थे दिनांक 12.10.17 समय लगभग 5:15 पीएम बजे मेडीलाइफ के मेन गेट पर चालक मिनी बस यूपी17 एटी3133 तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही थी बस ने उसके पिताजी की साइकिल में टक्कर मारी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और साइकिल भी टूट गई। मेडीलाइफ पर काफी लोगों ने देखा। उसके पिताजी को इलाज के लिए जेएस हॉस्पिटल में दाखिला कराया। इलाज के दौरान उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। 21 सी2/2 लगायत 21 सी2/3 आरोपपत्र की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचना के पश्चात विवेचना अधिकारी द्वारा मिनी बस नंबर यूपी17 एटी3133 के चालक सतीश कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304A, व 427 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और इस आरोपपत्र में पी.डब्लू.2 जितेंद्र प्रताप सिंह का नाम साक्षी के रूप में दर्ज है। 25 सी2/2 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 13 1017 को संपन्न पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण एंटी मार्टम इंजरी है तथा मृत्यु 1 दिन पूर्व हुई है। 22 सी2/2 नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रति निम्न हैः-

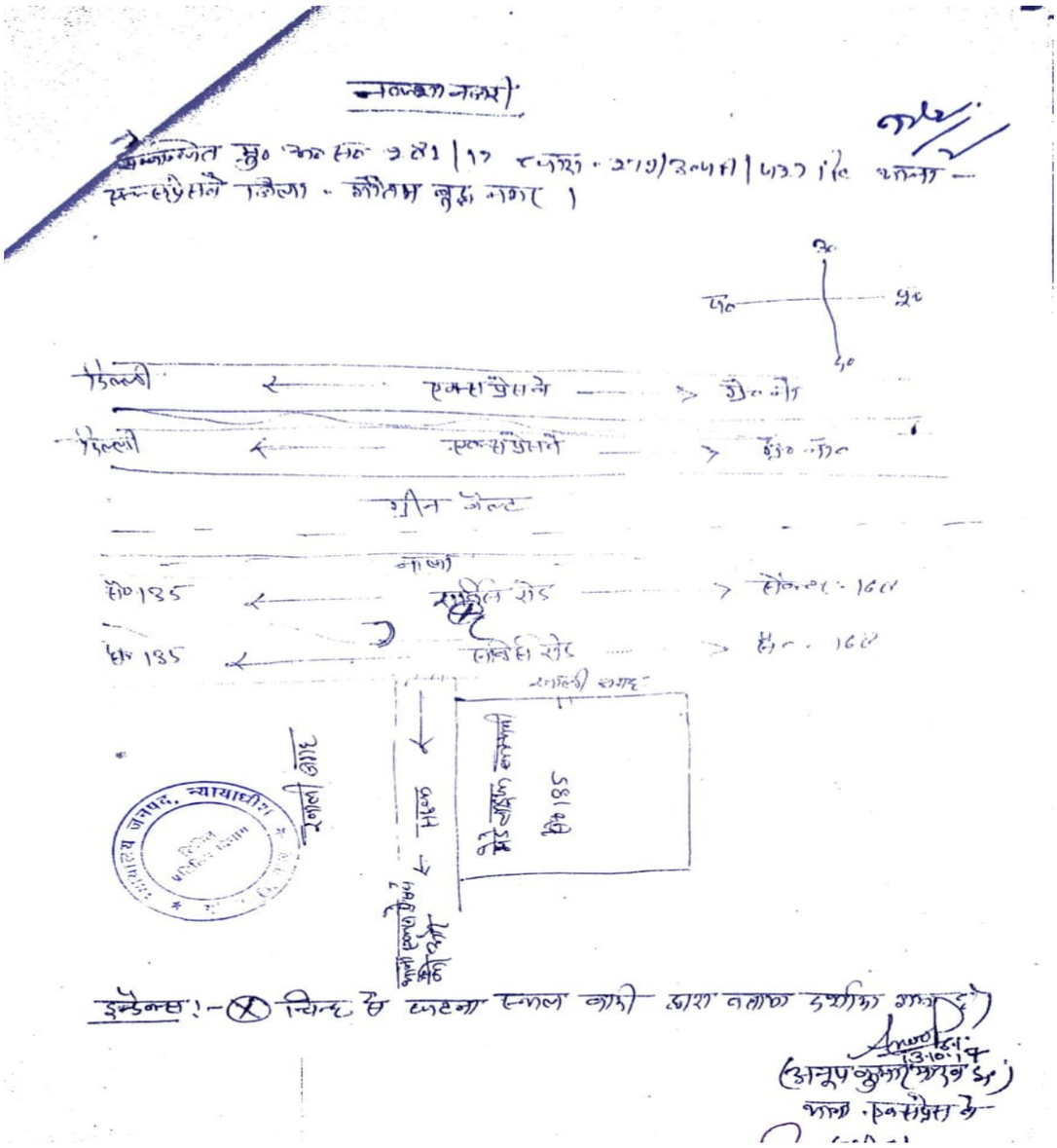

उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ, कि दिनाँक 12.10.2017 को 17.15 बजे मेडीलाइफ अस्पताल के पास अन्तर्गत थाना एक्सप्रेस वे जिला गौतमबुद्ध नगर में मिनी बस नंबर यूपी17 एटी3133 के चालक सतीश कुमार द्वारा मिनी बस को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर साइकिल से जा रहे अशोक कुमार को टक्कर मारकर गम्भीर चोटें पहुँचायी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वाद बिन्दु सं.1 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रपत्र सं. 17 सी2 बस नं. यूपी17 एटी3133 के सतीश कुमार विपक्षी सं.3 के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रति दाखिल की गई है। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त उक्त ट्रक के चालक के रूप में सतीश कुमार के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रपत्र सं. 17 सी2 के अनुसार चालक सतीश कुमार के पास दिनाँक 17.06.2006 से 23.07.2020 तक ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस (UP8120060003430) है। उक्त ड्राईविंग लाइसेंस का खंण्डन विपक्षी सं.2 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सका है। दुर्घटना दिनाँक 12.10.2017 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बस सं. यूपी17 एटी3133 के चालक के पास दुर्घटना के दिनाँक व समय पर वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। वाद सं.2 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याचीगण की ओर से प्रपत्र सं. 10 सी1/2 वाहन यूपी17 एटी3133 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिनके अनुसार उक्त बस का बीमा दिनाँक 01.06.2017 से 31.05.2018 तक पॉलीसी नं. 113400117010000337 6 कमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी द्वारा न्यू इंड़िया एश्योरेंस कं. लि. वैध एवं प्रभावी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बस सं. यूपी17 एटी3133 दुर्घटना के दिनाँक व समय पर विपक्षी सं.2 दि ~~यूनाईटेड~~ न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. से विधिवत रूप से बीमित था। उक्त बीमा का खंण्डन विपक्षी सं.2 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सका है। वाद बिन्दु सं. 3 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

14. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

यह वाद बिन्दु अनुतोष से संबंधित हैं। वाद बिन्दु सं.1 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक 12.10.2017 को बजे मेडीलाइफ अस्पताल के पास अन्तर्गत थाना एक्सप्रेस वे जिला गौतमबुद्ध नगर में मिनी बस नंबर यूपी17 एटी3133 के चालक सतीश कुमार द्वारा मिनी बस को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर साइकिल से जा रहे अशोक कुमार को टक्कर मारकर गम्भीर चोटें पहुँचायी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अतः याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि याचीगण किस विपक्षी से और कितनी कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चूँकि वाद बिन्दु सं.2 व 3 में यह निर्णीत किया गया है कि प्रश्नगत बस सं. यूपी17 एटी3133 के चालक के पास दुर्घटना के दिनाँक व समय पर वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था तथा उक्त बस दुर्घटना के दिनाँक व समय पर विपक्षी सं.2 दि ~~यूनाईटेड~~ न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. से विधिवत रूप से बीमित थी। अतः क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं.2 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लि. का है।

15. <u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

याचीगण की ओर से अपनी याचिका में कथन किया गया है कि मृतक 51 टाप्स सिक्योरिटी कम्पनी मे गार्ड के पर कार्यरत था जिससे मृतक को ₹400 प्रतिदिन के हिसाब से ₹13,000 प्रतिमाह मिलता था। इस संबंध में याचीगण की ओर से पत्रावली पर याचीगण की ओर से समर्थन में मृतक के वेतन से संबंधित प्रपत्र बहस के स्तर पर दाखिल किए गए हैं जिनके संबंध में बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से विरोध किया गया है और यह कहा गया है कि उनके द्वारा इन पत्रों का वेरिफिकेशन नहीं कराया जा सका है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क जायज है। याची गण ओर से इन पत्रों को साबित करने के लिए कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परंतु मृतक के पुत्र द्वारा बगैर विलंब किए जो एफ आई आर दर्ज कराई गई है उसमें मृतक को साइकिल से ड्यूटी पर जाना बताया गया है और मेरे विचार से नोएडा में किसी प्राइवेट कंपनी में भी 6000 रुपए मासिक से कम की कमाई पर कोई व्यक्ति झांसी छोड़कर दिल्ली या नोएडा रहकर कार्य नहीं करेगा। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03. 2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए भी 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018– ALLHC): MANU/UP/

2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए भी ₹200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना भी रहती है। इस प्रकार नोएडा में ड्यूटी पर जाने के तथ्य के दृष्टिगत मृतक की मासिक आय ₹6000 प्रतिमाह अर्थात एवरेज ₹200 प्रतिदिन निर्धारित की जाती है।

16. याचीगण ने याचिका में मृतक राकेश कुमार की उम्र 51 वर्ष अंकित की है। मृतक के आधार कार्ड में मृतक की जन्म तिथि 07.10.1965 अंकित है जो कि आयु के प्रश्न पर एक बेहतर व विश्वसनीय साक्ष्य है। दुर्घटना दिनांक 12.10.2017 की है इस प्रकार दुर्घटना की तिथि पर मृतक 52 वर्ष 3 दिन का था। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं की मृतक की आयु दुर्घटना के समय 52 वर्ष 3 दिन थी। इस आयु के लिए विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 11 का गुणक, विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 व विधि व्यवस्थाPappu Deo Yadav vs. Naresh Kumar and Ors. (17.09.2020 - SC) : MANU/SC/0696/2020 के आलोक मे 10% भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, विधि व्यवस्था The New India Assurance Company Limited and Ors. vs. Somwati and Ors. (07.09.2020 - SC) : MANU/SC/0674/2020 के आलोक मे याचीगण के पुत्र, व भाई की मृत्यु के दृष्टिगत वैवाहिक सहचर्य की क्षति के लिए ₹40,000 तथा विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार चार लोगों के आश्रित होने पर स्वयं के खर्च पर 1/4 भाग की कटौती, संपदा की क्षति के लिए ₹15,000 तथा दाह संस्कार के लिए ₹15,000 तथा निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	200	30	12	72000
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			10	7200
स्वयं पर खर्च (भाग में)			4	19800
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				59400
गुणक			11	653400
वैवाहिक सहचर्य की क्षति			40000	693400
संपदा की क्षति			15000	708400
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	723400
कुल क्षतिपूर्ति				**723400**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹7,23,400 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। याची सं.1 श्रीमती उर्मिला देवी अहिरवार मृतक की पत्नी है, याची सं. 2 व 3 क्रमशः अतुल कुमार व अमित कुमार मृतक के पुत्र हैं, याची सं. 4 श्रीमती शांति देवी अहिरवार मृतक की माँ हैं। अतः मामले की समस्त परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये याची सं. 1 लगायत 4 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 35, 25, 25 व 15 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash v. National Insurance Co. Ltd. (17.12.2009-SC) : MANU/SC/1949/2009 व M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 – SC): MANU/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा व एन्युटी की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार यह वाद बिंदु निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं.2 ~~थूनाईट~~ न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹7,23,400 (सात लाख तेईस हजार दो सौ चालीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से

स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 2 ~~यूनाईटेड~~ न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनाँक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं.-3671000101192489, IFSC-PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। याची सं.1 लगायत 4 क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 35, 25, 25 व 15 प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें। याचीगण सं. 1, 2 व 3 की 70% धनराशि 5 वर्ष के लिए फिक्स डिपाजिट की जाएगी तथा याची सं. 4 की 70% धनराशि 3 वर्ष के लिए एन्युटी मे निवेशित की जाएगी। याचीगण की शेष धनराशि आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

तदनुसार अंतिम आदेश तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक 05.07.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक 05.07.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी

दि. 06.07.2021 के आदेश के
क्रम मे टंकण त्रुटि को दुरुस्त किया गया।

पी. ओ.
एम.ए.सी.टी. झाँसी
06.07.2021